राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली
14 जनवरी, 1961/24 पौष, 1882 (शक)

आदेश
भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम

संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त पूर्वतन नियमों और आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य आबंटन के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. इन नियमों का नाम - भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 होगा।

2. कार्य का आबंटन - भारत सरकार का कार्य इन नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में (जिनमें से सभी को, इसमें, इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) संव्यवहृत किया जाएगा।

3. विषयों का वितरण -

(1) विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और इसके अंतर्गत सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन, जिनमें उनके विषयों से संबंधित पब्लिक सेक्टर उपक्रम हैं तथा इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) भी हैं।

(2) प्रत्येक विभाग का लेखा संकलन कार्य उक्त विभाग को उसी तारीख से आबंटित माना जाएगा जिससे राष्ट्रपति नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 10 की उप धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन आदेश द्वारा नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक को उक्त विभाग के लेखा-संकलन के दायित्व से भारमुक्त करते हैं।

(3) जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए मंजूरी देना अपेक्षित है वहां -

(क) यदि वह सरकारी सेवक है तो उस विभाग द्वारा, जो उस सेवा के जिसका वह सदस्य है, काडर का नियंत्रक प्राधिकारी है, और किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जिसमें वह, अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था;

(ख) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक से भिन्न कोई लोक सेवक है तो, उस संगठन से प्रशासनिक रूप से संबंधित विभाग द्वारा जिसमें वह अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था; और

(ग) किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जो, उस अधिनियम को, जिसके अधीन अभिकथित अपराध किया गया है, लागू करता है;

परन्तु, जहां ऐसे अभिकथित किए गए अपराधों के लिए एक से अधिक अधिनियम के अधीन मंजूरी अपेक्षित हैं, वहां वह विभाग, जो ऐसे अधिनियमों में से किसी को लागू करता है, ऐसे सभी अधिनियमों के अधीन मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा।

(4) राष्ट्रपति, उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

4. मंत्रियों में विभागों का आबंटन –

(1) मंत्रिमंडल सचिवालय को आबंटित भारत सरकार का कार्य प्रधान मंत्री को आबंटित किया जाता है और सदैव उन्हें आबंटित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, एक मंत्री के भार-साधन में एक या अधिक विभाग समनुदिष्ट करके मंत्रियों में भारत सरकार के कार्य का आबंटन कर सकेंगे।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से -

(क) किसी मंत्री को उक्त उपनियमों में से किसी के अधीन कार्य आबंटित करने के संबंध में अन्य मंत्री या उपमंत्री को उन कृत्यों का पालन करने के लिए जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, सहयुक्त कर सकेंगे; अथवा

(ख) किसी एक या एक से अधिक विभागों पर प्रभाव डालने वाली कार्य की विनिर्दिष्ट मदों के लिए उत्तरदायित्व ऐसे मंत्री को,जो किसी अन्य विभाग का भारसाधक है या ऐसे निर्विभाग मंत्री को न्यस्त कर सकेंगे जो किसी विभाग का भारसाधक नहीं है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राष्ट्रपति